

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 91/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0 पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/159

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

30.9.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. दिनांक 1.1.2005 से दिनांक 26.7.2022 तक समस्त प्रकार के गेहूँ के जितने भी रोस्टर सवाईमाधोपुर जिले के राशन डीलरो को आवंटन जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी किये गये है उन समस्त रोस्टरों की प्रमाणित सूचना चाहिए। प्रत्येक तहसीलवार अलग-अलग रोस्टरों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौरान सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/09 दिनांक 26.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा बाडमेर जिले के 24 राशनकार्डों में फर्जी ट्रान्जेक्शन कर राशन सामग्री का गबन करने के कारण उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 5.8.2020 को निरस्त किया गया है जिसकी अपील न्यायालय में जैरकार है। उक्त अनुज्ञा पत्र को बहाल करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनावश्यक/विस्तृत एवं अपूर्ण विवरण की सूचना मांगकर कार्यालय के कार्मिको/अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त संबंध में अपीलान्त को पूर्व में सूचना दी चुकी है तथा कई बार लिखित एवं मौखिक अवगत कराया जा चुका है कि किसी व्यक्ति विशेष की सूचना के लिए कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर चिन्हित कर लेवे। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 26.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना काफी विस्तृत है तथा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण भी अंकित नहीं है। सिमित संसाधनों से उक्तानुसार वांछित विस्तृत सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवाये जाने पर कार्यालय के अन्य आवश्यक कार्य बाधित होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को निर्देशित किया जाता है कि आपको जिन-जिन उचित मूल्यदुकानों को आवंटित रोस्टरों की प्रमाणित प्रति चाहिए है उनका पूर्ण विवरण मय रोस्टर माह एवं वर्ष से जिला रसद अधिकारी को अवगत करावे। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलान्त द्वारा उक्तानुसार विवरण सहित सूचना चाही जावे तो 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली नम्बर होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश न्यायालय में सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर